# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अलीमुदीन बनाम मृतका इनायतबानो

किस्म मुकदमा ........ मु. नं0 225 वर्ष 2018

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 24.1.2018 | अपील दर्ज रजिस्टर हो। मियाद का बिन्दु रिजर्व रहेगा । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया ।<br>विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया किया कि आराजी गत ख0नं0 11 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा हाल ख0नं0 28 रकबा 5.25 हैक्टर गत ख0नं0 55 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा हाल ख0नं0 101 रकबा 1.35 हैक्टर, गत ख0नं0 48 रकबा 6 बीघा हाल ख0नं0 88 रकबा 1.52 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम हमीरखां का बास तहसील मलसीसर में स्थित है इस आराजी बाबत मृतक इनायतबानो एवं एवजखां ने एक वाद बंटवारा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया । जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 17-7-2012 को अन्तरिम आदेश पारीत किया । जबकि अपीलान्ट विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है कानून एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती और यदि अदालत मातहत ने जारी भी कर दी तो ऐसी आज्ञा को केवल 30 दिन में अन्तिम रूप से निर्णित की जानी चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने उक्त आदेश को आज दिनांक तक अन्तिम रूप से निर्णित न कर कानूनी भूल की है । अपीलान्ट विवादित आराजी का रेकार्डे खातेदार काश्तकार है। अतः अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे । | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसके बाद अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये किन्तु बिना तामिल प्राप्त हुये ही अदालत मातहत ने दि0 17-7-2012 को एकपक्षी अन्तरिम आदेश पारित कर विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये तथा आदेश 39 नियम-3 सीपीसी की पालना करना दर्ज किया गया । दिनांक 10-9-13 को अनावेदक सं0- 1 से 4 की ओर से जबाब पेश किया गया किन्तु आज तक अन्तरिम आदेश पर अदालत मातहत ने कोई आदेश पारित नहीं किया अर्थात अन्तरिम आदेश को जारी किये 5 वर्ष 6 माह का समय हो चुका । रेकार्डेड खातेदार को इतने लम्बे समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना विधि एवं कानून के विपरित है जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर दिया है तो न्यायालय को चाहिये था की अन्तरिम आदेश को अन्तिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने ऐसा न कर विधि की भूल की है । अतः हम प्रकरण में यह उचित मानते हैं कि अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में जारी अन्तरिम आदेश का अन्तिम रूप से निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (वर्तमान उप खंण्ड अधिकारी मलसीसर) का निर्णय दिनांक 17-7-2012 मु0नं0 78/2012 उनवान इनायतबानों बनाम भीखू खॉं को निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम रूप से निर्णय 30 दिन में पारित करे, पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवे । पत्रावली नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया । 24/11/18